253 19 सीपीएसई के कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे।

अधोहस्ताक्षरी को उपयुक्त विषय पर दिनांक 24.08.2007 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाए कि उपरोक्त विषय के संबंध में तदर्थ विशेषज्ञ समूह (एजीई) की सिफारिशों के आधार पर, डीपीई ने दिनांक 24.08.2007 को उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। हाल ही में यह मुद्दा सरकार के सामने उठाया गया कि लाभ कमानेवाली सीपीएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विदेश दौरे के लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन पर्याप्त है। सरकार ने तदनुसार प्रावधानों की समीक्षा की, विशेष कर दिनांक 24.08.2007 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3.1 और 4 में निहित प्रावधानों की।

2. ऐसा देखने में आया है कि सीपीएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विदेश दौरे पर जाने से पहले रिपोर्टिंग अधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन अपेक्षित होता है। यदि, कर्यकारी अधिकारियों के विदेश दौरे की निर्धारित संख्या के लिए निदेशक मंडल का पूर्व बहुप्रयोजनीय अनुमोदन नहीं लिया जाता, किसी विशिष्ट विदेश दौरे के लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन लेना अधिक भारी–भरकम काम हो सकता है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विदेश दौरे के अनुमोदन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है और 24.08.2007 के कार्यालय ज्ञापन में निहित को बिना परिवर्तन रिटेन किया गया है।

3. यहां इसका पुनः उल्लेख किया जा सकता है कि जैसा 24.08.2007 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 में दिया गया है, निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों को उपरोक्त सिद्धांतों के मद्देनजर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन से उनकी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार विदेश दौरे के लिए दिशा–निर्देश बनाए। प्रशासनिक मंत्रालय दिशा–निर्देशों का अनुमोदन कर सकता है जो सीपीएसई के क्षेत्र, कार्य–निष्पादन और उनके व्यवसाय के माहौल पर निर्भर करता है।

4. मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. **2(23)/07–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–XVI/2011, दिनांक 20 जुलाई, 2011)**

*****